

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट

श्री सैयद रिजवान अली पुत्र श्री इज्जत अली

लोक सूचना अधिकारी

जाति मुस्लिम

अतिरिक्त जिला कलक्टर

निवासी टोंक

सिरौही

जिला टोंक

किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 18 वर्ष 2019

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
23.9.2019	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 22.6.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि मौजा मांचगांव आबूपर्वत के खसरा नम्बर 243 में 452.50 वर्ग गज भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण पट्टा दिनांक 11.4.1984 एवं साईट प्लॉन की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयवाधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 22.6.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि मौजा मांचगांव आबूपर्वत के खसरा नम्बर 243 में 452.50 वर्ग गज भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण पट्टा दिनांक 11.4.1984 एवं साईट प्लॉन की प्रमाणित प्रतिलिपि उन्हे निर्धारित समयवाधि में उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत को चाही गई समस्त सूचना तत्काल उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)
जिला कलक्टर, सिरौही